

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत भूपेन्द्र सिंह शेखावत, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि आईदान का बास, दूदू, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि शुभधरा, बारा किया गया। भूपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18924/2019 भूपेन्द्र सिंह शेखावत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18924/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन का याचिकार्थी के संबंध में स्थगन प्रदान किया गया है। माननीय न्यायालय स्थगन की पालना में भूपेन्द्र सिंह शेखावत, व्याख्याता राजनीति विज्ञान को यथावत राउमावि आईदान का बास, दूदू, जयपुर पदस्थापित किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलंब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

दिनांक:- 18/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला, शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा जयपुर
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर ।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राध्यापनाचार्य/कार्मिक राउमावि. आईदान का बास, दूदू, जयपुर।
8. गार्ड पंजिका।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर